पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-

दिनांक–16-09-2025

पूर्वी जोन/थाना चिनहट

- पुरानी रंजिश को लेकर हत्या के प्रयास के मामले में दो शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।
- गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त एक अवैध पिस्टल .32 बोर, एक मैगजीन और एक जिंदा कारतूस बरामद।
- थाना चिनहट और पूर्वी जोन की सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्यवाही

कार्यवाही-

थाना चिनहट पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-490/2025 धारा 109(1) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिनहट जनपद लखनऊ से संबन्धित 02 नफर नामजद अभियुक्तगण **01.विनय यादव** पुत्र स्व0 राम सेवक यादव निवासी कंचनपुर मटियारी प्रणामी मन्दिर गेट के पास थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र 28 वर्ष **02.जुल्फी उर्फ सैफ** पुत्र नसीम अहमद निवासी इब्राहिमाबाद थाना कोठी जनपद बाराबंकी हालपता प्रेमबाग बी-बाजार के पीछे थाना चिनहट जनपद लखनऊ उम्र लगभग 22 वर्ष लगभग को **राष्ट्रीय उद्यौग आश्रम इण्टर कालेज की तरफ जाने वाले रास्ता थाना चिनहट से दिनांक-16.09.2025** अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 31.12.2024 को वादी मुकदमा प्रेमदास यादव निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट जनपद लखनऊ द्वारा वादी के साथ मारपीट,गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देने के संबन्ध में मु0अ0सं0-611/24 धारा-115(2)/127(1)/352/351(2) बीएनएस बनाम 01.संदीप पुत्र रामसेवक यादव निवासी कंचनपुर मटियारी थाना चिनहट जनपद लखनऊ 02.विनय यादव पुत्र रामसेवक यादव निवासी उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

उपरोक्त मुकदमे व पुरानी रंजीश को लेकर दिनांक 13.09.2025 को अभियुक्त विनय यादव पुत्र रामसेवक निवासी उपरोक्त व अपने साथियो के साथ मिलकर के सुनियोजित योजना के तहत जान से मारने की नियत से यादवेन्द्र सिंह यादव पुत्र श्री सुरेन्द्र पाल सिंह कंचनपुर मटियारी , चिनहट लखनऊ को प्रणामी मन्दिर कंचनपुर मटियारी के प्रागंण में गोली मारी गयी।

जिसके संबन्ध में थाना स्थानीय पर वादी मुकदमा यादवेन्द्र सिंह उपरोक्त द्वारा दिनांक 13.09.2025 को मु0अ0सं0-490/25 धारा-109 बीएनएस बनाम 01.विनय यादव पुत्र स्व रामसेवक यादव व तीन अज्ञात साथी पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री दीपक कुमार पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही है।

उच्चाधिकारीगण महोदय द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए तत्तकाल प्रभाव से घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम आग्री जिसके द्वारा घटना स्थल से 01 अदद खोका कारतूस 7.65 एमएम व धातू का टुकड़ा बरामद किया गया। घटना के सफल अनावरण हेतु उच्चाधिकारीगण महोदय के आदेश निर्देश के क्रम में तत्तकाल प्रभाव से टीमें गठन की गयी।

जिनके द्वारा आज दिनांक 16.09.2025 को घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तगण **01. विनय यादव** उपरोक्त् व **02.जुल्फी उर्फ सैफ** उपरोक्त को राष्ट्रीय उधौग आश्रम इण्टर कालेज की तरफ जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त **01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर व एक अदद मैगजीन व एक अदद जिन्दा कारतूस बरामद** किया गया।

बरामदगी व साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में धारा 3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्च की बढोतरी की गयी।

अनावरित अभियोग का विवरणः-

01. मु0अ0सं0-490/25 धारा-109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिनहट जनपद लखनऊ

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. **विनय यादव,** पुत्र स्वर्गीय राम सेवक यादव, निवासी कंचनपुर मटियारी (प्रणामी मन्दिर गेट के पास), थाना चिनहट, जनपद लखनऊ, उम्र 28 वर्ष।
2. **जुल्फी उर्फ सैफ,** पुत्र नसीम अहमद, निवासी इब्राहिमाबाद, थाना कोठी, जनपद बाराबंकी (वर्तमान पता: प्रेमबाग बी-बाजार के पीछे, थाना चिनहट, लखनऊ), उम्र लगभग 22 वर्ष।

अभियुक्त विनय यादव उपरोक्त का अपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0-611/24 धारा-115(2)/127(1)/352/351(2) बीएनएस थाना चिनहट जनपद लखनऊ

02. मु0अ0सं0-490/25 धारा-109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिनहट जनपद लखनऊ

अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

अभियुक्त जल्फी उर्फ सैफ उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

01. मु0अ0सं0-490/25 धारा-109(1)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिनहट जनपद लखनऊ

अन्य आपराधित इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगीः-

01. 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर

02. 01 अदद मैंगजीन

03. 01 अदद जिन्दा कारतूस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

थाना चिनहट पुलिस टीम	**सर्विलांश टीम पूर्वी जोन**
श्रीमान प्रभारी निरीक्षक दिनेश चन्द्र मिश्र	उ0नि0 श्री अमरनाथ चौरिसिया
उ0नि0 श्री दीपक कुमार पाण्डेय	हे0का0 सन्दीप पाण्डेय
उ0नि0 श्री धनंजय कुमार सिंह	हे0का0 अमित कुमार
उ0नि0 श्री कपिल कुमार	का0 तरनजीत सिंह
उ0नि0 श्री अभिषेक तिवारी	का0 शिवानन्द खरवार
उ0नि0 श्री विशाल यादव	का0 अजय यादव
उ0नि0 श्री सुमित कुमार	का0 प्रदीप कुमार
हे0का0 शहनबाज	का0 विमलचन्द्र पाल
का0 प्रदीप तिवारी	
का0 आशुतोष सिंह	
का0 अर्जून चौरसिया	

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2293

दिनांक–16-09-2025

पश्चिमी जोन/थाना चौक

- वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर चोर/अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- कब्जे से चोरी की 01 अदद पल्सर मोटरसाइकिल बरामद।

01-कार्यवाही-

थाना चौक पुलिस द्वारा अभियुक्त समीर उर्फ छोटू पुत्र मोबिन मूल पता ग्राम करमहना थाना गौरा जनपद बलरामपुर हाल पता लाल मस्जिद के पास किराये का मकान बारूदखाना थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ उम्र 21 वर्ष को आज दिनांक 16.09.25 को समय 02.22 बजे राजकीय हुसैनाबाद इण्टर कॉलेज के पीछे वाली रोड पर सड़क किनारे थाना चौक लखनऊ से चोरी की मोटरसाईकिल के साथ गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही किया जा रहा है।

02- संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 15.09.2025 को वादी मुकदमा संदीप कुमार चौरसिया पुत्र राम किशोर चौरसिया निवासी 613/न्यू 2 सी0सी0 गौरभीठ फैजुल्लागंज नियर ठाकुर उत्सव लन थाना मड़ियाँव जनपद लखनऊ उम्र-41 वर्ष द्वारा लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 15.09.2025 को सुबह मै लगभग 08:00 बजे ट्रामा सेंटर दवा लेने आया था मैने अपना वाहन बजाज पल्सर गाडी सं0 UP32PH1488 गेट न0 16 के पास खडी करके अन्दर दवा लेने चला गया वापस आने पर मै अपनी गाडी जिस स्थान पर खडा किया था नहीं पाया मैने आसपस बहुत खोजबीन की व वहा मौजूद लोगो से अपने वाहन के बारे मै पूछा तो कोई भी सुराख नहीं मिला।

इस सूचना पर तत्काल थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 234/2025 धारा - 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। जिसके क्रम में आज दिनांक 16.09.2025 को समय 02.22 बजे अभियुक्त समीर उर्फ छोटू पुत्र मोबिन मूल पता ग्राम करमहना थाना गौरा जनपद बलरामपुर हाल पता लाल मस्जिद के पास किराये का मकान बारूदखाना थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ उम्र 21 वर्ष को राजकीय हुसैनाबाद इण्टर कॉलेज के पीछे वाली रोड पर सड़क किनारे थाना चौक लखनऊ से गिरफ्तार कर चोरी की मोटरसाईकिल बरामद किया गया है। अभियुक्त को जेल भेजे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

03-अभियुक्त का नाम पता–

1. समीर उर्फ छोटू पुत्र मोबिन मूल पता ग्राम करमहना थाना गौरा जनपद बलरामपुर हाल पता लाल मस्जिद के पास किराये का मकान बारूदखाना थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ उम्र 21 वर्ष

04-अपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 275/2024 धारा 302(2)/317(2)/319(2) थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 83/2023 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना मड़ियाव जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 17/2019 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना चौक जनपद लखनऊ
4. मु0अ0सं0 266/2018 धारा 41/411/413 भा0द0वि0 थाना ठाकुरगंज जनपद लखनऊ (बाल अपचारी)

05-अनावरित अभियोग-

1. मु0अ0सं0 - 0234/2025 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना चौक लखनऊ

06-बरामदगी का विवरण –

1. एक अदद मोटर साइकिल रजिस्ट्रेशन नं0 UP32PH1488 चेसिस नं0 MD2B68BX6RPK12948 ईजन न0 DHXPRK12032 रंग काला बजाज पल्सर

07-गिरफ्तार कर्ता टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री नागेश उपाध्याय थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
2. उ0नि0 श्री आशुतोष यादव चौकी प्रभारी ट्रामा, थाना चौक कमिश्नरेट लखनऊ
3. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह, चौकी प्रभारी पुलगामा, थाना चौक लखनऊ
4. उ0नि0 मोनेश कुमार यादव, थाना चौक लखनऊ
5. का0 हिमांशू सिंह , थाना चौक लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2299

दिनांक-16.09.2025

जोन- पश्चिमी/ थाना-दुबग्गा

- **थाना दुबग्गा पुलिस द्वारा गौकशी मुकदमे से सम्बन्धित 02 वांछित अभियुक्तो को किया गया गिरफ्तार।**

01-संक्षिप्त विवरण-

थाना स्थानीय पर दिनांक 12.09.2025 को वादी मुकदमा श्री नन्हके पुत्र स्व0 लच्छू निवासी महिपतमऊ थाना दुबग्गा लखनऊ की लिखित तहरीर बावत विपक्षीगण द्वारा अज्ञात लोगो द्वारा सांड को काट कर मारने के सम्बन्ध में दाखिल किया गया। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 0385/2025 धारा 3/8 गोवध निवारण अधि0 1955, बनाम 1.अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

जिसमे दौराने विवेचना उक्त अभियोग से सम्बन्धित – अभि0गण 1.इस्तियाक पुत्र अब्बास निवासी झबनिया खेड़ा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई 2- सूफियान पुत्र रहीश निवासी झबनिया खेड़ा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई 3- वसीम पुत्र रहीश निवासी झबनिया खेड़ा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई 4- रियासत पुत्र मचलू निवासी बगवारा थाना रहिमाबाद लखनऊ 5- मोहम्मद पुत्र तकी अहमद निवासी31/93 हरी सिंह फार्म गुलाब नगर थाना शहादतगंज लखनऊ का नाम प्रकाश मे आय़ा।

अभियुक्त मो0वसीम पुत्र रहीश को दिनांक 15.09.2025 को रात्रि करीब 11.10 बजे मुठभेड़ में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा गया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. इस्तियाक पुत्र अब्बास नि0- झबनिया खेड़ा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई उम्र करीब 25 वर्ष 2. रियासत पुत्र मचलू निवासी बगबारा थाना रहीमाबाद लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष **हालपता** बेबी मार्टिन स्कूल बाली गली थाना दुबग्गा लखनऊ को उ0नि0 अभिषेक कुमार पाण्डेय की टीम, उ0नि0 कुलदीप, हे0का0 रंजीत मुखबिर खास की सूचना पर **अभि0 इस्तियाक को बाजनगर हरदोई रोड को दिनांक 15.09.2025 को समय 19.10 बजे** तथा द्वितीय टीम के प्रभारी उ0नि0 बृजपाल सिंह व का0 विशाल द्वारा तथा अभियुक्त- **रियासत को हरदोई रोड पर स्थित टोल टैक्स के पास से दिनांक 16.09.2025 समय करीब 9.30 बजे सुबह** गिरफ्तार कर धारा 3/8 गोवध निवारण अधि0 1955 में न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। **अन्य अभियुक्त की तलाश जारी है।**

02-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. इस्तियाक पुत्र अब्बास नि0- झबनिया खेड़ा थाना कासिमपुर जनपद हरदोई लखनऊ उम्र करीब 25 वर्ष
2. रियासत पुत्र मचलू निवासी बगबारा थाना रहीमाबाद लखनऊ उम्र करीब 32 वर्ष हालपता बेबी मार्टिन स्कूल बाली गली थाना दुबग्गा लखनऊ

03-पंजीकृत/अनावरित अभियोग-

मु0अ0सं0 0385/2025 धारा 3/8 गोवध निवारण अधि0 1955 थाना दुबग्गा कमि0 लखनऊ

04-अपराधिक इतिहास-

अभि0 रियासत

1.मु0अ0सं0 138/2022 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनयम थाना मलिहाबाद

2.मु0अ0सं0 417/22 धारा 2/3 गिरोहबन्द समाज निवारण अधिनियम थाना मलिहाबाद

3.मु0अ0सं0 113/23 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनयम तथा 379 आईपीसी थाना रहिमाबाद लखनऊ

अभि0 इस्तियाक

1. मु0अ0सं0 313/24 धारा 3/25 आर्मस एक्ट व 109 बीएनएस थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ
2. मु0अ0सं0 310/24 धारा 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 325 बीएनएस थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ
3. मु0अ0सं0 416/23 धारा 294 भादवि थाना कासिमपुर जनपद हरदोई

(अन्य अपराधिक इतिहास के बारे मे जानकारी की जा रही है ।)

05-गिरफ्तारी करने वाली टीम पुलिस-

1. उ0नि0 अभिषेक कुमार पाण्डेय कोतवाली दुबग्गा जनपद लखनऊ
2. उ0नि0 कुलदीप कोतवाली दुबग्गा जनपद लखनऊ
3. उ0नि0 बृजपाल सिंह कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
4. हे0का0 रंजीत कोतवाली दुबग्गा लखनऊ
5. का0 विशाल कुमार थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2297
दिनांक-16.09.2025

जोन- उत्तरी/ थाना-इटौंजा

- **शांति व्यवस्था भंग करने वाले 02 नफर अभियुक्त को थाना इटौंजा पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ की पुलिस टीम द्वारा किया गया गिरफ्तार।**

01-सक्षिप्त विवरणः-

- दिनांक 16.09.2025 को उ0नि0 रमेश सिंह यादव मय हमराह पुलिस बल के साथ कस्बा अमानीगंज मे मौजूद थे। सूचना प्राप्त हुयी कि अटेसुवा मे कुछ व्यक्ति आपस मे लडाई झगडा कर रहे है। इस सूचना पर मौके पर पहुंचकर देखा कि वादी देवेन्द्र कुमार पुत्र महावीर प्रसाद निवासी ग्राम अटेसुवा थाना इटौंजा लखनऊ के साथ राहुल सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम अटेसुवा थाना इटौंजा लखनऊ उम्र 30 विपिन सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम अटेसुवा थाना इटौंजा लखनऊ उम्र 26 वर्ष अपने ऊपर पंजीकृत हुए मुकदमे को लेकर वादी मुकदमा से कहासुनी कर वाद विवाद कर रहे हैं।
- पुलिस बल द्वारा मौके पर पहुंचकर वाद विवाद का कारण पूछते हुए समझाने बुझाने का प्रयास किया गया तो 1. राहुल सिंह 2. विपिन सिंह उपरोक्त मानने को तैयार नही हुये और अधिक उत्तेजित होकर आमादा फौजदारी होने लगे। शान्ति, सुरक्षा व कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए व किसी संज्ञेय अपराध घटित होने के दृष्टिगत गिरफ्तारी के सिवाय अन्य कोई चारा न देखते हुये 1. **राहुल सिंह** 2. **विपिन सिंह** उपरोक्त का चालान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस मे करते हुये मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-अपराध का तरीकाः-

अभियुक्त द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने का कृत्य किया गया है।

03-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण—

1. राहुल सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम अटेसुवा थाना इटौंजा लखनऊ उम्र 30 वर्ष व्यवसाय– निल
2. विपिन सिंह पुत्र चन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम अटेसुवा थाना इटौंजा लखनऊ उम्र 26 वर्ष व्यवसाय– निल

04-बरामदगीः- निल

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम थाना इटौंजा-

1. उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव थाना इटौंजा लखनऊ
2. का0 डालचन्द्र थाना इटौंजा लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं.-2298

दिनांक- 16.09.2025

जोन मध्य / थाना मदेयगंज

- **थाना मदेयगंज पुलिस द्वारा वादिनी को शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के आरोपी / अभियुक्त किया गया गिरफ्तार।**

01- संक्षिप्त विवरण

दिनांक 16.09.2025 को वादिनी मुकदमा द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र बावत अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ गाली गलौज करते हुये मारपीट करना व शादी का झांसा देते हुये वादिनी के साथ जबरन शारीरिक संबध बनाने व जान से मारने की धमकी देने के संबध में दाखिल किया। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 180/2025 धारा 69/115(2)/352/351(3) बीएनएस बनाम एहसान अंसारी पुत्र रियासत अली निवासी निकट छोटी पकडिया अवध वाटिका खदरा थाना मदेयगंज लखनऊ के पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 16.09.2025 को उ0नि0 श्री प्रदीप सिंह द्वारा आरोपी एहसान अंसारी को पूछताछ हेतु थाना स्थानीय पर बुलाया गया बाद पूछताछ आरोपी एहसान अंसारी को उसके जुर्म धारा 69/115(2)/351(3)/352 बीएनएस से अवगत कराते हुए थाने से ही हिरासत पुलिस में लिया गया।

दौरान गिरफ्तारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों/निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया। विधिक कार्यवाही पूर्ण कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में अन्य थाना व जनपद से जानकारी की जा रही है।

02- अपराध का तरीका-

अभियुक्त द्वारा वादिनी के साथ गाली गलौज करते हुये मारपीट करना व शादी का झांसा देते हुये वादिनी के साथ जबरजस्ती शारीरिक संबध बनाने व जान से मारने की धमकी देने के संबध में

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. एहसान अंसारी पुत्र रियासत अली उम्र 23 वर्ष निवासी निकट छोटी पकडिया अवध वाटिका खदरा थाना मदेयगंज लखनऊ

04 गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्र0नि0 राजेश सिंह, थाना मदेयगंज लखनऊ
2. उ0नि0 प्रदीप सिंह थाना मदेयगंज जनपद लखनऊ
3. हो0गा0 शिव मंगल सिंह थाना मदेयगंज जनपद लखनऊ
4. हो0गा0 गंगाधर सिंह थाना मदेयगंज जनपद लखनऊ

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2295

दिनांक 16/09/2025

जोन- दक्षिणी/ थाना- नगराम

- **घर में घुसकर चोरी करने वाले 02 शातिर चोर/नकबजन अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **कब्जे से चोरी किये गये कीमती जेवरात व एक अदद मोबाइल फोन बरामद।**
- **थाना नगराम पुलिस की कार्यवाही।**

01-घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 15.09.2025 को आवेदक देवीदीन (चौकीदार) पुत्र पूरन निवासी ग्राम अब्बास नगर थाना नगराम लखनऊ द्वारा "अज्ञात लोगो ने ताला तोड़कर तीन ठप्पे का माला, एक माला एक ठप्पे का सोने की , एक जोडी झुमकी सोने की , एक चाँदी की करधनी, 8 पी. लच्छा चाँदी के व एक हजार रूपये नगद" चुरा ले जाने के सम्बन्ध प्रार्थना पत्र दिया गया था। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0-203/2025 धारा-305(a)/331(4) बी0 एन0एस0 पंजीकृत हुआ था।

विवेचना के क्रम में थानाध्यक्ष नगराम द्वारा अज्ञात चोरो की गिरफ्तारी हेतु एक पुलिस टीम गठित की गयी थी। गठित पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 16.09.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्तगण 01.**संजय उर्फ बबलू** पुत्र इन्द्रप्रसाद निवासी ग्राम अहमदपुर आजम अली मजरा शाहमोहम्मदपुर अपैया थाना नगराम लखनऊ 02.**सतीश कुमार** पुत्र रामसनेही निवासी ग्राम अहमदपुर आजम अली मजरा शाहमोहम्मदपुर अपैया थाना नगराम लखनऊ को शिवनन्दन इण्टर कॉलेज के पास बनी पुलिया थाना क्षेत्र नगराम से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगणों के पास से चोरी किया गया एक अदद माला तीन ठप्पे की (पीली धातु), एक अदद माला एक ठप्पे की (पीली धातु), एक जोडी झुमकी (पीली धातु), एक अदद करधनी (सफेद धातु), एक जोडी पायल (सफेद धातु), 05 जोडी बिछुआ (सफेद धातु) व एक अदद अंगूठी (सफेद धातु) बरामद हुआ। बरामद सामान के बारे में अभियुक्तगणों से पूछा गया तो अभियुक्तगणों द्वारा बताया गया कि यह वही सामान है जो हम लोगों ने 02 दिन पहले ग्राम अब्बास नगर से चोरी किया था और इसके अलावा हमें 1000/- रुपए भी मिले थे जिसको हम लोगों ने खर्च कर दिए हैं। अभियुक्तगणों के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

02. अपराध का तरीका--

अभियुक्तगणों द्वारा घर में घुसकर चोरी करना तथा चोरी का सामान बेचकर जीविकोपार्जन करना।

03-गिरफ्तार अभियुक्त व आपराधिक इतिहास -

- **संजय उर्फ बबलू** पुत्र इन्द्रप्रसाद उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम अहमदपुर आजम अली मजरा शाहमोहम्मदपुर अपैया थाना नगराम लखनऊ

  01.मु0अ0सं0 286/23 धारा 380/411 भादवि थाना नगराम लखनऊ।

  02.मु0अ0सं0 199/23 धारा 380/411 भादवि थाना नगराम लखनऊ।

- **सतीश कुमार पुत्र रामसनेही उम्र करीब 24 वर्ष निवासी ग्राम अहमदपुर आजम अली मजरा शाहमोहम्मदपुर अपैया थाना नगराम लखनऊ**

  01.अनावरित अभियोग के अलावा कोई अन्य अभियोग नही

04- बरामदगी-

- एक अदद माला तीन ठप्पे की (पीली धातु),
- एक अदद माला एक ठप्पे की (पीली धातु),
- एक जोडी झुमकी (पीली धातु),
- एक अदद करधनी (सफेद धातु),
- एक जोडी पायल (सफेद धातु),
- 05 जोडी बिछुआ (सफेद धातु),
- एक अदद अंगूठी (सफेद धातु) व वादी मुकदमा से बरामद एक अदद मोबाइल।

05- गिरफ्तारी पुलिस टीम-

01. उ0नि0 अनुज भाटी
02. उ0नि0 चन्द्र बहादुर यादव
03. हे0का0 राकेश मिश्रा
04. का0 नीलेश कुमार
05. का0 संजय कुमार